न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/4039 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 13–4–2018 – पारित व्दारा – कलेक्टर जिला शिवपुरी – प्रकरण कमांक 20 अ–21/2015–16

1– अंगद पुत्र सुना आदिवासी
2– श्रीमती सब्बो पत्नि अंगद आदिवासी
ग्राम मचा खुर्द तहसील पोरी
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी --- अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0घाकड़)
(रिस्पा. के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 23 - 10 -2018 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्र0क0 20 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13–4–2018 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2 प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उनके नाम ग्राम मचा खुर्द तहसील पोहरी में भूमि सर्वे कमांक 318/2 रकबा 1–00 हैक्टर भूमिस्वमी स्वत्व पर है। उन्हें पुत्रियों की शादी करने के साथ अन्य ग्राम में स्थित भूमि को अच्छी उपज व अच्छी कृषि भूमि बनाने के लिये भूमि सिंचित करने के लिये पैसों की आवश्यकता

है इसलिये ग्राम मचा खुर्द तहसील पोहरी की सर्वे कमांक 318/2 रकबा 1-00 हैक्टर भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे , क्योंकि उनके द्वारा भूमि विक्रय करने का अनुबन्ध शैलेन्द्र सिंह धाकड़ पुत्र मांगीलाल धाकड़ निवासी ग्राम मचाखुर्द एंव नीरज सिंह पुत्र श्रीपत धाकड़ से कर लिया है तथा भूमि विक्रय अग्रिम धन 2,25,000/- प्राप्त कर लिये है । कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 20 अ-21/ 2015-16 पॅजीबद्व किया तथा नायव तहसीलदार पोहरी एंव अनुविभगीय अधिकारी पोहरी से जांच कराकर आदेश दिनांक 13-4-2018 पारित किया तथा भूमि विक्रय हेतु पर्याप्त आधार न होना अंकित करते हुये आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। कलेक्टर शिवपुरी के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण के नाम ग्राम मचा खुर्द तहसील पोहरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 318/2 रकबा 1-00 हैक्टर है जो उनके नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है। इस भूमि के अतिरिक्त आवेदकगण के पास ग्राम चकराना में भूमि सर्वे कमांक 641 रकबा 0.150 हैक्टर, सर्वे कमांक 637 रकबा 0.050 हैक्टर, सर्वे कमांक 628 रकबा 0.140 हैक्टर, सर्वे कमांक 609 रकबा 0.370 हैक्टर भूमि सामिलाती खाते पर होना बताया गया है तथा मौजा सोंसा ग्राम चकराना में भूमि सर्वे कमांक 17 रकबा 0.550 हैक्टर, सर्वे कमांक 18 रकबा 2.19 हैक्टर कुल रकबा 3-530 हैक्टर भूमि धारित होना बताया गया है । नायव तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन दिनांक 4-5-17 से यह सही है कि आवेदकगण को ग्राम मचा खुर्द तहसील पोहरी की सर्वे कमांक 318/2 रकबा 1-00 हैक्टर भूमि तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 23 अ 19/2001-02 में दिये गये आदेश दिनांक 25-5-2002 से पटटे पर दी गई है किन्तु नायव तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन दिनांक 4-5-17 में अभिमत व्यक्त किया गया है कि भूमि पर बैंक आदि का ऋण नहीं

है तथा इस्तहार जारी करने पर किसी की आपत्ति नहीं आई है एंव भूमि बन सीमा में नहीं है इस प्रकार नायव तहसीलदार ने अनुसंशा करके जांच प्रतिवेदन कलेक्टर शिवपुरी को अग्रेषित किया है। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी ने भी नायव तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार सहमति व्यक्त कर प्रतिवेदन दिनांक 30-6-17 में अंकित किया है कि आवेदकगण के पास उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् भी आजीविका चलाने के लिये 1-58 हैक्टर भूमि बचेगी एंव म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 2 (1) (ठ) के अंतर्गत वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आवेंगे। विचार योग्य है कि जब ग्राम मचा खुर्द तहसील पोहरी की सर्वे क्रमांक 318/2 रकबा 1-00 हैक्टर भूमि आवेदकगण के नाम शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है तथा भूमि विक्रय करने के पश्चात् भी आजीविका चलाने के लिये 1-58 हैक्टर भूमि शेष बचेगी एंव म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 2 (1) (ठ) के अंतर्गत वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आवेंगे, तब क्या आवेदकगण की मांग अनुसार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे भूमि सिंचित करने आदि के के लिये भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में अड़चन है एंव ऐसा रिकार्डेड भूमिस्वामी भूमि विक्रय कर सकता है ?

(1) सी0एम0आई0 सेवा सॅघ सागर विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य 2018 रा.नि. 363 का दृष्टांत है कि भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) - धारा 165 (7-ख) खसरा प्रविष्टियों का महत्व - वर्ष 2017 तक भूमिस्वामी अधिकारों में भूमि अभिलिखित - विक्रय से प्रतिषेधित होने के विषय में कोई प्रविष्टि नहीं - ऐसी भूमि का विक्रय किया जा सकता है।

(2) दयाशॅकर विरूद्ध हरेराम तथा एक अन्य 2011 रा.नि. 426 का दृष्टांत है कि - भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) - धारा 165 (7-ख) - पंट्टा धारक को 10 वर्ष पश्चात् भूमिस्वामी अधिकार प्रोद्भूत - ऐसी भूमि के अंतरण के लिये कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में आवेदित भूमि की विक्रय अनुमति पर विचार करने पर स्थिति यह है कि जब आवेदकगण के पास उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् भी आजीविका चलाने के लिये 1-58 हैक्टर भूमि बचेगी एंव म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 2 (1) (ठ) के अंतर्गत वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आवेंगे, तब भूमिस्वामी हक में दर्ज चली आ रही उक्त भूमि आदिवासी होने

के कारण भूमि विक्रय करने की अनुमति की मांग कर रहा है तब आवेदकगण की आवश्यकता के अनुरूप उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है, किन्तु कलेक्टर जिला शिवपुरी ने आदेश दिनांक 13-4-18 पारित करते समय उक्त पर ध्यान न देने में भूल की है . जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला शिवपुरी व्दारा प्र0क0 20 अ-21/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-4-2018 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगण को ग्राम मचा खुर्द तहसील पोहरी की भूमि सर्वे कमांक 318/2 रकबा 1-00 हैक्टर गैर आदिवासी अनुबंधग्रहीतागण को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि कलेक्टर व्दारा निर्धारित गाईड लायन के मान से विक्रय दिनांक को भूमि का विक्रय मूल्य अनुबंध राशि कम करके केतागण व्दारा अदा की जावेगी तथा उप पंजीयक यह सुनिश्चित करेंगे कि केता व्दारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के साथ दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट/ नेट बैंकिंग से आवेदकगण के खाते में राशि जमा की गई है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर